म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित

74 बंगले, इंदिरा निकुंज, खेल परिसर, भोपाल

फोन : 0755-2674349, 2674202

वेबसाइट - www.mfpfederation.org, www.vindhyaherbals.com

Email : md.mfpfed@mp.gov.in, mpmfpit@gmail.com

mfpparct@gmail.com

निविदा क्र./टा.फ्रो./संजीवनी/2022/462 भोपाल, दिनांक : 15.03.2022

संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों एवं संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के लीज रेंट पर संचालन (आउटसोर्स) हेतु निविदा सूचना का चतुर्थ प्रकाशन

1. मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित भोपाल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न स्थानों पर स्थापित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों **"जहां है-जैसा है"** के लीज रेंट (आउटसोर्स) एवं विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के विक्रय लक्ष्य के आधार पर आगामी संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एफ.एम.पी.- पार्क) बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर में स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के **"जहां है-जैसा है"** आधार पर लीज रेंट संचालन (आउटसोर्स) आधार पर इच्छुक निविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

उक्त निविदायें मध्यप्रदेश शासन के ऑनलाइन पोर्टल **https://www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 16.03.2022 सायं 5 बजे से उपलब्ध रहेंगी। निविदाकार राशि रुपए 1000/- एक हजार रुपए के ई-भुगतान से निविदा प्रपत्र क्रय कर दिनांक 04.04.2022 अपरान्ह 4.00 बजे तक पृथक-पृथक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव निर्धारित शर्तों एवं प्रारूप अनुसार भर सकते हैं।

निविदायें लघु वनोपज संघ की वेबसाइट **www.mfpfederation.org** एवं एम.एफ.पी.-पार्क की वेबसाइट **www.vindhyaherbals.com** पर भी सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहेंगी।

म.प्र. माध्यम/104029/2022 **प्रबंध संचालक**

अधि0क्रं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

निविदा शुल्कः राशि रूपए 1000 / –एक हजार रूपए

म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा संचालित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र, भोपाल ''जहॉ है–जैसा है'' के लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर आगामी संचालन के संबंध में निविदा आमंत्रण

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक 04 / 04 / 2022 समय सायं 4.00 बजे तक)

- जिला वनोपज सहकारी यूनियन .....
- विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल

यदि निविदाकार एक से अधिक संजीवनी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत करना चाहता है तो प्रत्येक संजीवनी केन्द्र के लिए पृथक–पृथक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव भरना अनिवार्य है।

फोनः 0755–2970629, 2970630

Website: https://www.mptenders.gov.in, http://www.mfpfederation.org,

Email: md.mfpfed@mp.gov.in, mpmfpit@gmail.com

अधि0क्रं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

निविदा के संबंध में निर्धारित समय सारणी

कार्यविवरण	दिनांक एवं समय
निविदा प्रपत्र वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in से डाउनलोड / प्राप्त करने का दिनांक एवं समय	16 / 03 / 2022 दिन बुधवार अपरान्ह 5.00 बजे से दिनांक 04 / 04 / 2022 दिन सोमवार को सायं 4.00 बजे तक निविदा प्रपत्र https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
तकनीकी व वित्तीय निविदा भरने / अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	04 / 04 / 2022 दिन सोमवार को सायं 4.00 बजे तक वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन
तकनीकी निविदा भौतिक रुप से जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	04 / 04 / 2022 दिन सोमवार को सायं 5.30 बजे तक स्थानः कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर बरखेड़ा पठानी, भोपाल–462022 (म.प्र.)
ऑनलाइन तकनीकी निविदा (मय भौतिक प्राप्त) खोलने का दिनांक एवं समय	05 / 04 / 2022 दिन मंगलवार को सायं 4.00 बजे से स्थानः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल
तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के वित्तीय प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा के परीक्षण उपरांत पृथक से सूचित किया जावेगा।
निविदा प्रपत्र का शुल्क **(वापिसी योग्य नही)**	राशि रूपये 1000 / – (रू. एक हजार) एवं नियमानुसार जीएसटी की देय राशि का भुगतान https://mptenders.gov.in पर ई–पेमेन्ट द्वारा ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुल्क	म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in की शर्तो अनुसार पोर्टल पर दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार को ई–पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) **नोटः– एक से अधिक संजीवनी केन्द्रों के लिए निविदा भरने की स्थिति में पृथक–पृथक तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है। इस हेतु निविदा प्रपत्र का शुल्क एवं ईएमडी का भुगतान भी पृथक–पृथक देय होगा।**	सत्यंकार राशि का भुगतान किसी भी अधिसूचित बैंक के <u>डिमान्ड ड्राफ्ट</u> द्वारा CEO, MFP-PARC के पक्ष में भोपाल में देय हो किया जावे। विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य की 2% राशि पर 18% जीएसटी जोड़कर भुगतान करना होगा। बिना ईएमडी के निविदा मान्य नही होगी। विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य एवं ईएमडी का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है–

श्रेणी	**वार्षिक क्रय लक्ष्य**	**ई.एम.डी. 2% राशि मय 18% जीएसटी**
भोपाल संजीवनी	50 लाख रूपए	₹ 1.18 लाख
श्रेणी अ	10 लाख रूपए	₹ 23,600 / –
श्रेणी ब	05 लाख रूपए	₹ 11,800 / –
श्रेणी स	04 लाख रूपए	₹ 9,440 / –
श्रेणी द	03 लाख रूपए	₹ 7,080 / –

बिना सत्यंकार राशि (ई.एम.डी.) <u>डिमान्ड ड्राफ्ट</u> के निविदा मान्य नही की जाएगी एवं ऐसी प्राप्त निविदाओं की तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं नही खोली जावेगी।

निविदा की वैधता	180 दिवस

अधि0क्रं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थापित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा संचालित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र **जहां है–जैसा है** के लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर आगामी संचालन के संबंध में इच्छुक निविदाकारों से ऑनलाइन ई–निविदाएँ / वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है।

1. ऑनलाइन ई–निविदा से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण म.प्र.शासन के पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर निर्धारित समय सीमा एवं अवधि हेतु उपलब्ध रहेगा।
2. इच्छुक बोलीदाता / निविदाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से म.प्र.शासन के पोर्टल https://www.mptenders.gov.in पर पंजीयन (registration) कराना आवश्यक है।
3. निविदा दस्तावेज, लघु वनोपज संघ की वेबसाइट www.mfpfederation.org एवं एम.एफ.पी.–पार्क की वेबसाइट www.vindhyaherbals.com पर भी सुलभ सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहेगा।

तालिका–1

विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के न्यूनतम वार्षिक क्रय का लक्ष्य निर्धारण

क्रं	संजीवनी केन्द्र का नाम	वनमंडल / जिला यूनियन	वन वृत्त	श्रेणी	❖ विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का न्यूनतम वार्षिक विक्रय लक्ष्य
1	विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल	भोपाल	अ	50 लाख रुपए वार्षिक
2	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	अ	10 लाख रुपए वार्षिक
3	खंडवा	खंडवा	खंडवा	अ	10 लाख रुपए वार्षिक
4	होशंगाबाद	होशंगाबाद	होशंगाबाद	अ	10 लाख रुपए वार्षिक
5	सीधी	सीधी	रीवा	ब	05 लाख रुपए वार्षिक
6	खरगोन	खरगोन	खंडवा	ब	05 लाख रुपए वार्षिक
7	सिवनी	दक्षिण सिवनी	सिवनी	स	04 लाख रुपए वार्षिक
8	बालाघाट	उत्तर बालाघाट	बालाघाट	स	04 लाख रुपए वार्षिक
9	बुरहानपुर	बुरहानपुर	खंडवा	स	04 लाख रुपए वार्षिक
10	ओंकारेश्वर	खंडवा	खंडवा	स	04 लाख रुपए वार्षिक
11	छतरपुर	छतरपुर	छतरपुर	स	04 लाख रुपए वार्षिक
12	परासिया	पश्चिम छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	स	04 लाख रुपए वार्षिक
13	अमरकंटक	अनूपपुर	शहडोल	द	03 लाख रुपए वार्षिक
14	औबेदुल्लागंज	औबेदुल्लागंज	भोपाल	द	03 लाख रुपए वार्षिक
15	देवास	देवास	उज्जैन	द	03 लाख रुपए वार्षिक
16	बड़वानी	बड़वानी	खंडवा	द	03 लाख रुपए वार्षिक
17	पन्ना	उत्तर पन्ना	छतरपुर	द	03 लाख रुपए वार्षिक
18	चित्रकूट	सतना	रीवा	द	03 लाख रुपए वार्षिक

अधि0क्रं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

क्रं	संजीवनी केन्द्र का नाम	वनमंडल / जिला यूनियन	वन वृत्त	श्रेणी	❖ विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का न्यूनतम वार्षिक विक्रय लक्ष्य
19	मैहर	सतना	रीवा	द	03 लाख रुपए वार्षिक
20	सतना	सतना	रीवा	द	03 लाख रुपए वार्षिक
21	डिंडौरी	डिंडौरी	जबलपुर	द	03 लाख रुपए वार्षिक

❖ **नोटः–** विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के न्यूनतम वार्षिक विक्रय लक्ष्य का अर्थ संजीवनी केन्द्रों द्वारा विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के क्रय मूल्य की राशि से है, जिसमें टेक्स एवं कमीशन / छूट सम्मिलित नही है।

प्राक्कथन

म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या., भोपाल जिसे आगे संघ कहा गया है द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रसंस्कृत आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों'' की स्थापना की गई है। वर्तमान में इन संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के निर्देशन में स्थानीय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के के माध्यम से किया जा रहा है।

संजीवनी केन्द्रों द्वारा लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी–पार्क), बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा निर्मित ''विन्ध्य हर्बल्स'' ब्रांड के हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा निर्मित हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों को विपणन मंच प्रदान किया जाता है। **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र की विश्वसनीयता एवं उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता की आमजनों तक व्यापक पहुंच है।** प्रदेश के विभिन्न जिला वनोपज सहकारी यूनियन अंतर्गत एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल में स्थापित ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' की वर्तमान में उपलब्ध उपयुक्त अधोसंरचनाओं एवं सुविधाओं के साथ ''विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के वार्षिक क्रय लक्ष्य निर्धारण के साथ अधिकतम लीज रेंट प्रस्ताव (आउटसोर्स) के आधार पर संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से पृथक–पृथक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव म.प्र. शासन के पोर्टल https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किए जाते है। निविदा म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल https://www.mptenders.gov.in से रू. 1000 / –एक हजार रुपए एवं जीएसटी के ई–भुगतान से क्रय किए जा सकते हैं।

संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र को संचालित करने के उद्देश्य–

संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य लघु वनोपज, वनौषधि एवं प्राकृतिक एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचाना, इनके संबंध में जागरूकता उत्पन्न करना है।

संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों को विपणन मंच प्रदान करता है। इस केन्द्र द्वारा रोगियों को आयुर्वेदिक चिकित्सीय परामर्श भी प्रदान किया जाता है जिससे न केवल आम जन लाभांवित हो रहे हैं, अपितु भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा मिल रहा है।

संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों से केवल विन्ध्य हर्बल ब्रांड के उत्पादों एवं विभिन्न जिलों के प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा निर्मित हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों का ही विक्रय किया जाता है। पंजीकृत चिकित्सकीय परामर्शदाताओं को संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था होती है, जिससे कि आमजनों को चिकित्सीय परामर्श सुविधा का लाभ मिलता है। संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों को एम.एफ.पी.–पार्क, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा निर्मित विंध्य हर्बल्स ब्रांड के उत्पाद सीधे प्राप्त करने की व्यवस्था है, जिसमें कि निर्धारित छूट प्रदान की जाती है, जिससे कि संजीवनी आयुर्वेद केन्द्रों को अधिक से अधिक लाभ प्रदाय किया जा सके।

संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र में विक्रय हेतु रखी जाने वाली सामग्री :–

(I) नियुक्त लीज धारक संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में केवल विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों का ही विक्रय कर सकेगा। प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ अपने विवेकाधीन, लघु वनोपज प्राथमिक सहकारी समिति एवं वन सुरक्षा एवं वन धन केन्द्रों / क्लस्टरों तथा ग्राम वन समितियों द्वारा निर्मित उत्पाद के विक्रय की अनुमति दे सकेगें। इसके अतिरिक्त अन्य ब्रांडस / असंबद्ध सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(II) संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के लिये नियुक्त लीज धारक को एम.एफ.पी.–पार्क, बरखेड़ा पठानी से विंध्य हर्बल्स ब्रांड के उत्पाद प्राप्त करने होंगे जिस पर निर्धारित कमीशन / छूट देय होगी।

2. **अनिवार्य अहर्तायें:**

संजीवनी केन्द्र के संचालन के लिए निविदाकार में निम्नलिखित अहर्ता होना अनिवार्य हैं–

1. आयुर्वेदिक डाक्टर (नियमित बी0ए0एम0एस0) की न्यूनतम उपाधि एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड में वैद्य पंजीयन। उक्त अहर्ताओं की पूर्ति के लिए यदि निविदाकार आयुर्वेदिक डाक्टर की सेवाएं संलग्न करना चाहता है तो उसे संबंधित डाक्टर की लिखित सहमति / आपसी करारनामा, शैक्षणिक योग्यताओं की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

अथवा

2. आयुर्वेद / फार्मास्युटिकल्स / एफ.एम.सी.जी. कार्यक्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। संबंधित कार्यक्षेत्र एवं अनुभव के प्रमाणित दस्तावेज (गुमास्ता) की छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।

3. **आवंटन का निर्धारण:** तकनीकी निविदा के परीक्षण में योग्य / पात्र वाले निविदाकारों के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएगें। सफल निविदाकार का निर्धारण तकनीकी रुप से अर्ह निविदाकर्ता के वित्तीय प्रस्तावों में विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य के साथ अधिकतम मासिक लीजरेंट (भोपाल एवं संबंधित जिला यूनियन के नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत के कार्य क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम लीजरेंट से अधिकतम) के आधार पर किया जाएगा।

4. **निविदा प्रपत्र एवं सत्यंकार शुल्क:**

(i) निविदा प्रपत्र https://www.mptenders.gov.in से रू. 1000 / –एक हजार एवं नियमानुसार देय जीएसटी के ई–भुगतान से क्रय किया जा सकता है। एक से अधिक संजीवनी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदा प्रपत्र का शुल्क पृथक–पृथक देय होगा। तथा निविदा भी पृथक–पृथक भरी जावे। **निविदा प्रपत्र की शुल्क वापिसी नही की जावेगी।**

(ii) **सत्यंकार शुल्क (EMD) Earneast Money Deposit** विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के निर्धारित क्रय लक्ष्य श्रेणी (अ,ब,स,द) **तालिका–2** अनुसार निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य की 2% राशि पर 18% जीएसटी जोड़कर सत्यंकार राशि का भुगतान किसी भी अधिसूचित बैंक के **डिमान्ड ड्राफ्ट** द्वारा CEO, MFP-PARC के पक्ष में भोपाल में देय हो भुगतान किया जावे। एक से अधिक संजीवनी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत करने के लिए सत्यंकार शुल्क (EMD) Earneast Money Deposit पृथक–पृथक देय होगा तथा निविदा भी पृथक–पृथक भरी जावे।

विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का वार्षिक क्रय लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है–

तालिका–2

श्रेणी	वार्षिक क्रय लक्ष्य	ई.एम.डी. 2% राशि मय 18% जीएसटी
भोपाल संजीवनी	50 लाख रूपए	₹ 1.18 लाख
श्रेणी अ	10 लाख रूपए	₹ 23,600 / –
श्रेणी ब	05 लाख रूपए	₹ 11,800 / –
श्रेणी स	04 लाख रूपए	₹ 9,440 / –
श्रेणी द	03 लाख रूपए	₹ 7,080 / –

(iii) निविदा प्रपत्र के शुल्क एवं सत्यंकार राशि के बिना प्रस्तुत की गई निविदा स्वीकार्य नही होगी।

(iv) निविदा के निराकरण होने एवं सफल निविदाकार से अनुबंध के निष्पादन की समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत असफल निविदाकारों को सत्यंकार राशि वापिस कर दी जाएगी।

(v) तकनीकी निविदा में सफल निविदाकार के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएगें।

(vi) सत्यंकार राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नही देय होगा।

(vii) जिन संजीवनी केन्द्रों के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही उसका स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जावे।

5. **परिशिष्टः**

परिशिष्ट I से III जो कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनो के लिए इस निविदा सूचना के ही भाग है। अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट I से III को ध्यान से पढ़कर व **संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र जहां है–जैसा है** की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों को देखकर ही निविदा प्रक्रिया में भाग लें।

6. **निविदा प्रस्तुतीकरणः**

(i) **तकनीकी निविदा** तकनीकी निविदा में निविदा शुल्क की पावती एवं सत्यंकार राशि का **डिमान्ड ड्राफ्ट** सहित आवश्यक दस्तावेज स्केन कर आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। आनलाइन अपलोड किए गए दस्तोवजों को तकनीकी निविदा के रुप में भौतिक रुप से भी प्रस्तुत किए जाना अनिवार्य है। निविदा को आनलाइन एवं आफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ऐसा ना करने पर निविदा स्वीकार्य नही होगी। निविदाकार द्वारा निविदा का भौतिक रुप से प्रस्तुतीकरण करते समय पृथक–पृथक 3 लिफाफों का उपयोग करना है, प्रथम छोटे लिफाफे में **निविदा शुल्क की पावती** एवं सत्यंकार राशि का मूल **डिमान्ड ड्राफ्ट** रखना है, जिस पर निविदा शुल्क एवं सत्यंकार राशि अंकित किया जावे। दूसरे लिफाफे में **परिशिष्ट–I** अनुसार भरी हुई तकनीकी निविदा मय संलग्नकों एवं दस्तावेजों को रखा जावे, जिस पर **तकनीकी निविदा** अंकित किया जावे। दोंनों लिफाफों पर निविदाकार का नाम एवं पता भी स्पष्ट रुप से लिखा जावे एवं सीलबंद किए जावें। एक बड़े लिफाफे में दोनों लिफाफों को रखकर निविदाकार का नाम एवं पता लिखकर सीलबंद कर प्रस्तुत करना होगा। ऊपरी बड़े लिफाफे पर **तकनीकी निविदा–''संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र, ... के लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन हेतु निविदा''** लिखा जावे। भौतिक रुप से तकनीकी निविदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को निर्धारित तिथि के पूर्व स्पीड पोस्ट / डाक / कोरियर / व्यक्तिगत रुप से प्रेषित / प्रस्तुत की जावे। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार्य नही किया जाएगा।

(ii) **वित्तीय निविदा का प्रस्तुतीकरणः**

परिशिष्ट–II अनुसार वित्तीय निविदा प्रस्ताव https://www.mptenders.gov.in के माध्यम से ही आनलाइन प्रस्तुत की जावे। भौतिक रुप से प्रस्तुत की गई वित्तीय निविदा स्वीकार्य नही की जावेगी।

(iii) <u>निविदा प्रस्तुतीकरणः</u>

- निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों / संस्था द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह / वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। (उदाहरणार्थ, संबंधित फर्म या स्वयं अथवा पूर्ण स्वामी अथवा किसी कंपनी के संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में।)
- किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्त्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से निष्पादित विलेख (डीड) या भागीदारी विलेख (Partnership Deed) जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा।
- अवयस्क, दिवालिया, अथवा वन विभाग म0प्र0 शासन / लघु वनोपज संघ द्वारा घोषित काली सूची में दर्ज व्यक्तियों / संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नही की जावेगी।

7. **निविदाओं का खोला जानाः**

(i) निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 05 / 04 / 2022 को अपरान्ह 4.00 बजे से उपस्थित निविदाकारों के समक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी.–पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर में आनलाइन एवं आफलाइन खोली जाएगी।

(ii) तकनीकी निविदाओं के परीक्षण एवं निराकरण हेतु प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा एक समिति गठित की जावेगी। आवश्यकतानुसार समिति चाहे तो किसी जानकारी या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित निविदाकार से वांछित जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगी।

(iii) तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएगें।

(iv) यदि दो निविदाकारों द्वारा समान लीजरेंट प्रस्तुत किया जाता है तो आयुर्वेदिक डाक्टरों में उच्च शैक्षणिक एवं कार्य अनुभव योग्यता धारक को प्राथमिकता दी जावेगी। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही किया जाएगा।

(v) निविदा के खुलने के समय यदि कोई निविदाकार कदाचार करता है या शांति बनाये रखने में बाधा डालता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा अयोग्य घोषित कर दी जायेगी। यदि बाधा से हानि उत्पन्न होती है, तो वह वसूली योग्य होगी और उसे तीन वर्षो के लिए काली सूची में भी दर्ज किया जा सकेगा।

8. **न्यूनतम तकनीकी अहर्ता का मूल्यांकन एवं योग्यता का निर्धारणः**

निविदाकार द्वारा भरे गए **<u>परिशिष्ट–2</u>** के आधार पर न्यूनतम तकनीकी अहर्ता का मूल्यांकन एवं योग्यता का निर्धारण किया जावेगा। निम्नलिखित किसी भी बिन्दुओं पर न्यूनतम अहर्ता नही पाए जाने पर संबंधित निविदाकार की तकनीकी बोली निरस्त की जावेगी।

(अ) निविदाकार स्वयं शैक्षणिक अहर्ता रखते है अथवा शैक्षणिक अहर्ता रखने वाले व्यक्ति को नियोजित किया गया है, का प्रमाण / अनुबंध इत्यादि।

(ब) आयुर्वेदिक / एफ0एम0सी0जी0 / फार्मास्युटिकल क्षेत्र में न्यूनतम 7 वर्षों का कार्यानुभव / नेटवर्क संबंधी दस्तावेज।

(स) वित्तीय क्षमताओं का आंकलनः विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर प्रस्तावित एवं संबंधित संजीवनी केन्द्र के वार्षिक क्रय लक्ष्य से 25% अधिक होना चाहिए।

(द) कोविड काल के विगत 2 वर्षों में 50 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर मान्य है।

9. **सुरक्षा निधि एवं अग्रिम किराए का भुगतानः**

(i) अनुबंध / करारनामा निष्पादित करते समय अनुबंधकर्ता को सुरक्षा निधि की राशि विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के क्रय लक्ष्य श्रेणी (अ,ब,स,द) अनुसार निर्धारित वार्षिक क्रय लक्ष्य की 5% राशि पर 18% जीएसटी जोड़कर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमान्ड ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 के रुप में जिसकी वैद्यता अनुबंध अवधि से 6 माह आगे की हो, संबंधित संजीवनी केन्द्र के प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन के नामित हो जमा की जावे। विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल के नामित भुगतान किया जावे।

(ii) सफल निविदाकार को प्रेषित सूचना दिनांक से अधिकतम 30 दिवस के अंदर अनुबंध / करारनामा निष्पादित करना आवश्यक है। यदि किन्ही कारणों वश निविदाकार उक्त निर्धारित अवधि में अनुबंध / करारनामा निष्पादित करने हेतु अवधि में वृद्धि चाहता है तो उसे कारणों का उल्लेख करते हुए इस आशय का लिखित आवेदन संबंधित **प्रबंध संचालक,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन के कार्यालय में उपरोक्तानुसार वर्णित 30 दिवस के पूर्व प्रस्तुत करना होगा। विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को प्रस्तुत किया जावे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन के यथोचित कारणों के आधार पर प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा अधिकतम 15 दिवस की अवधि वृद्धि (एक बार) प्रदान की जा सकेगी परन्तु ऐसा करने के लिए वह बाध्य नही हैं। यदि इसके बाद भी सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित नही किया जाता है तो उस श्रेणी के द्वितीय निविदाकार को अवसर प्रदान किया जा सकेगा।

(iii) अनुबंधकर्ता को मासिक लीजरेंट प्रस्ताव की 3 माह की अग्रिम राशि के कुल योग का अग्रिम भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमान्ड ड्राफ्ट / एफ0डी0आर0 के रुप में संबंधित प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... के नामित हो जमा की करना आवश्यक है। विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के नामित हो जमा किया जावे।

(iv) सफल निविदाकार द्वारा उसके आवेदन पर निविदा के साथ जमा की गई सत्यंकार की राशि को सुरक्षा निधि के रुप में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(v) सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि, अग्रिम लीज़ रेंट अनुबंध / करारनामा अवधि की सफल पूर्णता के उपरान्त वापस कर दी जावेगी। राशि की वापिसी उसी स्थिति में की जाएगी जबकि लीजधारक द्वारा समस्त देनदारियों का भुगतान पूर्णतः कर दिया गया हो। भवन अथवा उससे जुड़ी किसी भी सम्पत्ति, फिक्सर को नुकसान न पंहुचाया गया हो, किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि एवं अग्रिम लीज रेंट से की जाएगी।

10. **सफल निविदाकार से अनुबंध / करारनामा का निष्पादनः**

(i) सफल निविदाकार को उसके प्रस्ताव की स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिनों में संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के लिए कंडिका (7) में निर्धारित सुरक्षा निधि एवं 3 माह के अग्रिम लीजरेंट के भुगतान के साथ परिशिष्ट–III में दिये गये प्रपत्र में पंजीकृत अनुबंध / करारनामा निष्पादित करना होगा। पंजीकृत अनुबंध / करारनामा पर होने वाले व्यय का भुगतान सफल निविदाकार को ही करना होगा।

(ii) यदि सफल निविदाकार करारनामा किये जाने की समय सीमा में वृद्धि चाहता है तो उसे प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.–पार्क'' भोपाल को आवेदन करना होगा जिसमें अवधि वृद्धि किये जाने का कारण बतलाना होगा। प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर एक बार अधिकतम 15 दिवस की समय अवधि में वृद्धि करने का निर्णय ले सकेंगे, परन्तु ऐसा करने हेतु वे बाध्य नहीं हैं। विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ. पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर एक बार अधिकतम 15 दिवस की समय अवधि में वृद्धि करने का निर्णय ले सकेंगे, परन्तु ऐसा करने हेतु वे बाध्य नहीं हैं।

(iii) सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध / करारनामे का निष्पादन निर्धारित अवधि जिसमें एक बार की अवधि वृद्धि भी सम्मिलित है में नहीं किए जाने की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा उसकी निविदा निरस्त कर दी जावेगी और ऐसे निरस्तीकरण पर जमा की गई सत्यंकार की राशि अधिग्रहित कर ली जाएगी। इस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही होगा साथ ही निविदाकार को 3 वर्षो के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जाएगा।

(iv) करारनामा दिनांक से संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के संचालन हेतु आवश्यक वैधानिक पंजीयन, प्रचलित लागू कर जिसमें आयकर, जीएसटी, सम्पत्ति कर एवं अन्य आवश्यक करों के साथ–साथ बिजली, पानी के प्रबंध की समस्त जबाबदारी सफल निविदाकार की ही होगी।

(v) संचालन के दौरान यदि संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के प्रबंधन में संलग्न संचालक एवं स्टाफ का किसी से विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी समस्त वैधानिक जबाबदारी संजीवनी लीजरेंट धारक संचालक की ही होगी।

(vi) संजीवनी केन्द्र का पूर्ण स्वामित्व म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु ''मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ. पी.–पार्क'' भोपाल का ही होगा।

(vii) प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी / व्यक्ति कभी भी संजीवनी केन्द्र का निरीक्षण / औचक निरीक्षण कर सकेगें।

(viii) संजीवनी केन्द्र साप्ताहिक अवकाश छोड़कर समस्त दिवसों में खुला रहेगा।

(ix) यदि कोई आवेदक संजीवनी केन्द्र का संचालन नही करना चाहता है तो उसे तीन माह पूर्व नोटिस देकर अवगत कराना होगा। इसी प्रकार संघ अथवा **प्रबंध**

संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,** लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा आवश्यकता पड़ने पर 3 माह की पूर्व सूचना देकर संचालन निरस्त कर सकेगा।

(x) लीजधारक / अनुबंधकर्ता को लीज पर ली जा रही सम्पत्ति का बीमा कराना अनिवार्य होगा। बीमा पालिसी की प्रति एवं देय प्रीमियम की रसीद प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को अनुबंध करने की तिथि से 1 माह में उपलब्ध करानी होगी।

11. **करार अवधिः**

(i) अनुबंध / करारनामा निष्पादन की दिनांक से 3 वर्ष तक की करार अवधि के लिए एतद द्वारा निविदा आमंत्रित की गई हैं। प्रथम वर्ष के उपरांत द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित मूल लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जावेगी।

(ii) 3 वर्ष की करार अवधि समाप्त होने के उपरांत अनुबंधकर्ता के विगत वर्षों के कार्य निष्पादन (Performance) एवं विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के क्रय लक्ष्य के आधार पर आगामी 2 वर्ष के लिए करार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

(iii) करार अवधि में वृद्धि का अधिकार प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल की अनुमति से संबंधित प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को होगा।

(iv) प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल तद्समय के लागू मूल लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए करार अवधि में वृद्धि की अनुशंसा प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल को प्रस्तुत करेगें।

(v) अवधि में वृद्धि करने या ना करने का निर्णय प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा लिया जाएगा। प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

12. **संजीवनी केन्द्र के संचालन का मूल्यांकनः**

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा संजीवनी केन्द्र के संचालन के संबंध में प्रत्येक 6 माह में मूल्यांकन एवं समीक्षा की जावेगी। प्रगति संतोषजनक ना पाए जाने पर करारनामें के निरस्तीकरण की कार्यवाही की अनुशंसा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा की जावेगी जिस पर प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा निर्णय लिया जावेगा। संतोषजनक प्रगति की समीक्षा का तात्पर्य केन्द्र के सुव्यवस्थित संचालन एवं प्रबंधन, औषधियों के विक्रय की प्रगति, मासिक प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने, रखरखाव, समय पर मासिक

किराए / विद्युत / जलकर इत्यादि के भुगतान करने से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा 5 श्रेणियों में अपना अभिमत प्रदाय किया जावेगा जिसमें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, खराब एवं बहुत खराब।

13. म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के कर्मचारी एवं उनके आश्रित, परिवार के सदस्य आवंटन के पात्र नहीं रहेंगे।

14. नियुक्त लीज धारक को अथवा उनके कर्मचारियों को आवास, कार्यालय या अन्य कोई अतिरिक्त सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

15. **देय लीज रेंट का भुगतानः**

(i) नियुक्त लीज धारक देय लीज रेंट का त्रैमासिक आधार पर चार समान किस्तों में अग्रिम भुगतान लीज धारक के करारनामे की शर्त क्रमांक 1 (II) के अनुसार प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाना होगा। यह भुगतान त्रैमास समाप्त होने के 10 दिवस पूर्व करना होगा।

(ii) नियत दिनांक तक भुगतान न करने पर **0.05 प्रतिशत प्रतिदिन** की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। किन्तु यह अवधि 60 दिवस से अधिक की नही होगी। 60 दिवस से अधिक होने पर प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन द्वारा करारनामें को निरस्त कर, जमा अग्रिम एवं सुरक्षा निधि अधिग्रहित कर ली जावेगी एवं परिसर रिक्त करा लिया जाएगा। देय तिथि के 60 दिवस के अंदर भुगतान न करने पर लीजधारक के आवेदन पर, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वविवेक से अधिकतम 30 और दिवस का अवसर दिया जा सकता है।

(iii) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार अनुबंध / करारनामे को कभी भी निरस्त किया सकेगा। इस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया से संबंधित समस्त पक्षों को प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय मान्य होगा जोकि अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

16. **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र का प्रभारः**

(i) प्रथम तीन माहों की अग्रिम किस्तों एवं सुरक्षा निधि के भुगतान उपरांत संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र का प्रभार प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा अधिकतम 7 कार्य दिवसों में लीजधारक को कर दिया जायेगा।

(ii) प्रभार के दौरान समस्त चल / अचल सम्पत्तियों / स्टाक की सूची तैयार की जाएगी जिस पर प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं लीजधारक के हस्ताक्षर किए जाएगें।

17. **अधिनियम, नियमावली और शर्तो का उल्लंघन तथा करारनामे की समाप्ति :**

ऐसे क्रेता जो किसी अधिनियम, नियमावली और / अथवा क्रेता करारनामे की किन्ही शर्तो का उल्लंघन करता है, परिणामस्वरूप उसके करारनामें को समाप्त किया जाता है, तो

(1) नियुक्त लीज धारक को तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(2) तत्काल प्रभाव से संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र भवन को खाली करना होगा।
(3) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।
(4) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि को राजसात कर दिया जायेगा।
(5) यदि भवन / इससे संबद्ध संपत्ति को नियुक्त लीज धारक के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

18. **निबंधनों एवं शर्तो का स्वीकार करना–**

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तो एवं निबंधनों / नियमों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

19. **अधिनियम / प्रावधानों का लागू होनाः**

अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे संचालनकर्ताओं के ऊपर लागू होते हैं, निविदा सूचना एवं लीज रेंट करारनामें के निबंधनों तथा शर्तो के विशेषतः अभिन्न अंग हैं।

लीजधारक / अनुबंधकर्ता को नियमित रुप से संजीवनी केन्द्र से उत्सर्जित होने वाले कचरे के निपटान का प्रबंध, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, साफ–सफाई इत्यादि स्वयं के संसाधनों से करनी होगी।

केन्द्र के संचालन में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

कूटरचना, धोखाधड़ी एवं दुराचरण के प्रयास सिद्ध होने पर लीज समाप्त करते हुए, सुरक्षा निधि एवं अग्रिम लीज रेंट राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

निविदा के सम्बन्ध में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

न्यायालीन विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र संबंधित जिला न्यायालयों की अधिकारिता के अध्याधीन होगा।

20. **FORCE MAJEURE:** If at any time during the continuance of this agreement, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this agreement shall be prevented or delayed by reasons of any war, hostility, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, fire, floods, explosions, epidemics, quarantine restriction, or acts of God (herein after referred to as “eventualities”) and provided notice of the happenings of any such eventuality is given by either party to other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reasons of such eventuality be entitled to terminate this Agreement nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance. Deliverable under this Agreement shall be resumed as soon as practicable after such eventuality has come to an end or ceased to exist and the decision of the Principal as to whether the deliverable have so resumed or not shall be final and conclusive. Provided further that if the performance in whole or in part of any obligations under this Agreement is prevented or delayed by reasons of any such event for a period exceeding 60 days either party may at its option terminate the Agreement, by giving advance notice of 30 days to other party.

अधि0क्रं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

परिशिष्ट– I

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... के परिसर..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा संचालित ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' के आगामी लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन हेतु

तकनीकी निविदा

प्रति,

प्रबंध संचालक,
जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....
अथवा
विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क,
वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल

निविदा अधिसूचना क्र. / संजीवनी / 2022 / 465, दिनांक 15 / 03 / 2022 के संदर्भ में ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र''..... परिसर.....जिला यूनियन..... के संचालन हेतु मेरी / हमारी .... तकनीकी निविदा निम्नानुसार हैः–

1. निविदाकार / संस्था का पूरा नाम :.....

2. (अ.) निविदावार / संस्था के मालिक / भागीदार की शैक्षणिक योग्यता : .....
(प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
(ब.) यदि निविदाकार अर्हताधारी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सेवा संलग्न करना चाहता है तो–
(i) आयुर्वेदिक चिकित्सक का नाम .....
(ii) आयुर्वेदिक चिकित्सक की शैक्षणिक अर्हता .....
(प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
(iii) संबंधित चिकित्सक का सहमति पत्र है / नही .....
(सहमति पत्र संलग्न करें)

3. पत्र व्यवहार पता : .....

(दूरभाष तथा व्यापारिक संस्था स्थल).....

4. प्रोपराईटर / भागीदार / प्रबंधक के नाम व
दूरभाष सहित पता
प्रोपराईटर भागीदार प्रबंधक

5. क्या निविदाकार संस्था प्रोपराईटरशिप,
भागीदार संस्था अथवा लिमिटेड कंपनी है?
(यदि हां तो पार्टनरशिप डीड कम्पनी की पॉवर ऑफ अटार्नी की एक प्रति संलग्न करें)

6. यदि भागीदार फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी
है तो पंजीयन क्र. एवं पंजीयन स्थल का
विवरण भरें

7. वर्तमान व्यापार / व्यवसाय का विवरण

क्रं	चिकित्सा क्षेत्र में	एफ0एम0सी0जी0 क्षेत्र में	फार्मास्युटिकल क्षेत्र में

8. आयुर्वेद चिकित्सालय / उपचार केन्द्र / पंचकर्म / योग / प्राकृतिक चिकित्सा संचालन का अनुभव स्वयं अथवा नियोजित व्यक्ति का (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
9. संबंधित अन्य अनुभव (स्वयं अथवा नियोजित चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
10. वर्तमान व्यापार का वार्षिक टर्नओवरः
(विगत 3 वर्षों का सी0ए0 द्वारा जारी किया गया अद्यतन प्रमाणपत्र संलग्न करें।)
11. पिछले 3 आंकलन वर्षों (AY 2018–19 2019–20 एवं 2020–21) हेतु जमा आयकर विवरणिका (ITR) की प्रतियां संलग्न करें।
12. यदि निविदाकार द्वारा आयुर्वेदिक उत्पाद स्वयं बनाए जा रहे हैं अथवा विपणन किये जा रहे है तो विवरण देंः
13. यदि अन्य ब्रांड के हर्बल उत्पादों का व्यापार किया जा रहा है तो उनका विवरण :

क्रं	ब्रांड / कंपनी का नाम	उत्पादों का नाम	कब से व्यापार कर रहे हैं

14. सहभागी व्यापारिक कंपनी / उद्यम का विवरण यदि हो तो :
15. पंजीयन क्रमांकः
(जीएसटी / पेन / वेट / टिन विवरण के साथ स्थानीय / केन्द्रीय बिक्री कर विवरण)
16. ड्रग लायसेंस यदि है तो, क्रमांक एवं वैधता दिनांकः
17. अन्य कर / व्यापार पंजीयन का विवरणः
18. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड में पंजीयनः
19. निविदाकार को राशि 100 / – सौ रुपए मूल्य के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें यह घोषणा की जावे कि निविदाकर्ता / फर्म का नाम केन्द्र शासन / किसी भी राज्य शासन के विभाग अथवा निगम मंडल आदि की काली सूची में दर्ज नहीं है।
20. सत्यंकार राशि का विवरण
बैंक ड्राफ्ट क्र. ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .... राशि .....
21. निविदा प्रपत्र शुल्क राशि का विवरण
बैंक ड्राफ्ट / रसीद क्रमांक ..... दिनांक ..... बैंक का नाम .... राशि .....

(निविदाकार तकनीकी निविदा प्रस्तुत करते समय संबंधित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रुप से संलग्न करें, जिससे कि तकनीकी मूल्यांकन में आसानी हो।)

.....
निविदाकार के हस्ताक्षर

.....
(नाम प्रोपराईटर / भागीदार)
रबर स्टाम्प

अधि0कं0 / वनो / टा0फो0 / संजीवनी / 22 / 465 दिनांक 15 / 03 / 2022

परिशिष्ट– ।।

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... के परिसर..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा संचालित ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' के आगामी लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन हेतु निविदा

वित्तीय निविदा प्रारुप

(केवल आनलाइन भरना है।)

प्रस्तावित अधिकतम मासिक लीजरेंट राशि रू.....(शब्दों में).....

(लीजरेंट एवं क्रय विक्रय इत्यादि पर देय समस्त कर नियमानुसार लागू होगें)

(केवल आनलाइन भरना है, भौतिक रुप से प्राप्त वित्तीय निविदा स्वीकार्य नही होगी।)

परिशिष्ट–III

प्रपत्र

लीज धारक का अनुबंध / करारनामा

यह **अनुबंध /** करारनामा आज दिनांक ..... माह ..... वर्ष ..... को प्रथम पक्ष **प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... के.....** परिसर एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा संचालित ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' (जो इसके पश्चात प्रथम पक्ष के नाम से निर्दिष्ट होगें) हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी, सम्मिलित–होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री ....आत्मज ..... निवासी .... और जो (1) श्री ..... (2) श्री .....(3) श्री ....के साथ .....स्थित जिसका नाम .... है तथा जो .....अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में स्थित है, के साथ भागीदारी अथवा एकल मालिक के रूप में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात **''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' ..... परिसर** में स्थित है जो कि प्रथम पक्ष की चल–अचल सम्पत्ति है के लीज धारक या द्वितीय पक्ष के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक उक्त कंपनी / संस्था के तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है। (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो।)

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित द्वारा स्थापित एवं प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा संचालित ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र''..... को लीज रेंट **(आउटसोर्स)** आधार पर संचालन करने के लिए इच्छुक आयुर्वेदिक विशेषज्ञों / अनुभवी व्यक्तियों / संस्थाओं से निविदा अधिसूचना क्रमांक .... दिनांक ..... के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थी, और इच्छुक लीज धारक के द्वारा **''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र''** जो कि **प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... के..... परिसर एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल में संचालित है और** जिसको निविदा सूचना क्रमांक ..... दिनांक .....के परिशिष्ट में पूर्णतया वर्णित किया गया है, के लिए प्रस्तावित की गई लीज रेंट **(आउटसोर्स)** दर इसमें इसके पश्चात दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तो पर स्वीकार की गई है और उसे इस कथित **''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र'' के संचालन** के लिए ..... को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लीज धारक नियुक्त करने के लिए सहमत हूँ।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से आपसी करार निष्पादित करते हैं:–

(I) **लीज़ रेंट दर एवं भुगतान –**
यह कि द्वितीय पक्ष– **''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र''** के संचालन के लिये रूपये .... (अंको में) ..... (शब्दों में) प्रति माह की लीज रेंट दर से संचालित करेगा। लीज रेंट के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष समय पर लीजरेंट, विद्युत, जल, नगर निगम अथवा अन्य कोई भी लागू कर / उपकर भी अदा करेगा।

(II) द्वितीय पक्ष करार अवधि में देय लीज रेंट का भुगतान करारनामें के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों के पूर्व करेगा :–

किस्त व दिनांक

प्रथम– ..... से पूर्व
द्वितीय– .....से पूर्व
तृतीय– ..... से पूर्व
चतुर्थ –..... से पूर्व

(III) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा उपरोक्त तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(IV) नियुक्त लीज धारक देय लीज रेंट **(आउटसोर्स)** का त्रैमासिक आधार पर चार समान किस्तों में अग्रिम भुगतान लीज धारक के करारनामे की शर्त क्रमांक 1 (II) के अनुसार प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं **विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल** को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही करेगा। यह भुगतान त्रैमास समाप्त होने के 10 दिवस पूर्व करना होगा।

(V) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार अनुबंध / करारनामे को कभी भी निरस्त किया सकेगा। इस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया से संबंधित समस्त पक्षों को प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय मान्य होगा जोकि अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

02. **करों का भुगतान–**
लीजधारक **(आउटसोर्स)** द्वितीय पक्ष आयकर, सेवाकर एवं व्यवसाय पर लागू समस्त करों के प्रति वैधानिक रुप से उत्तरदायी होगा।

03. द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित गतिविधियां :

(1) ''संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र.....'' का पूर्णतः संचालन।

(2) संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के लीजरेंट धारक / संचालक द्वारा संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में केवल विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों एवं म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ की किसी अधीनस्थ संस्था द्वारा निर्मित उत्पादों का ही विक्रय किया जाएगा।

(3) संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र से संबंधित आवश्यक प्रचार–प्रसार एवं बोर्ड इत्यादि लगाने का कार्य द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जाएगा।

(4) ग्राहकों की सुविधा के लिये संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के परिसर में विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों से सम्बन्धित आवश्यक विज्ञापन व साइन बोर्ड भी द्वितीय पक्ष को प्रदर्शित करना होगा।

(5) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल एवं प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन तथा विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल को संजीवनी केन्द्र के संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित ग्राहकों की टिप्पणियां व सुझाव प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहेगा।

(6) लीज सम्पत्ति का उपयोग अन्य प्रयोजनों हेतु नही किया जा सकेगा।

(7) लीज सम्पत्ति परिसर में किसी प्रकार की प्रयोजन से असंबंधित एवं अवैधानिक गतिविधियों का संचालन लीज ग्राही द्वारा नही किया जाएगा। किसी प्रकरण में लीज परिसर में यदि इस प्रकार की शिकायत / साक्ष्य प्राप्त होते है तो उसकी सम्पूर्ण जबाबदारी लीज ग्राही की ही होगी।

(8) लीज सम्पत्ति का निरीक्षण / अनुश्रवण प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ एवं **प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल अथवा** उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी / व्यक्ति / अमले द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

04. बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान –

(1) द्वितीय पक्ष को आवंटित संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र का रखरखाव, साफ–सफाई, पानी एवं विद्युत उपभोग बिल इत्यादि के बिलों का भुगतान उस तिथि से करार अवधि तक करना होगा जब से द्वितीय पक्ष द्वारा संजीवनी केन्द्र को संचालन हेतु लिया गया है।

(2) द्वितीय पक्ष को संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र की साफ–सफाई एवं छोटे / आंशिक मरम्मत कार्यों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(3) विद्युत, जल अथवा अन्य कोई व्यय का भुगतान अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा ही किया जाएगा। द्वितीय पक्ष के भुगतान न करने की दशा में यह देय राशि जमा सुरक्षा राशि से काटकर की जावेगी।

05. संजीवनी आयुर्वेदिक केन्द्र में विक्रय हेतु रखी जाने वाली सामग्री :–

(I) नियुक्त लीजधारक संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में केवल विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड, वन धन केन्द्रों / क्लस्टरों एवं वन समितियों अथवा म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ की किसी अधीनस्थ संस्था द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक एवं हर्बल उत्पादों का ही विक्रय कर सकेगा ।

(II) संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र के लिये नियुक्त लीज धारक को एम.एफ.पी.–पार्क, बरखेड़ा पठानी से विंध्य हर्बल्स ब्रांड के उत्पाद क्रय करने होंगे जिस पर निर्धारित कमीशन / छूट देय होगी।

(III) संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में अन्य उत्पादों / ब्रांडस / एक्सपायरी औषधियों को रखना भी अनुबंध का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

06. चिकित्सीय परामर्शदाताओं को संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में बैठाना:

सफल निविदाकार संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सकों को चिकित्सीय परामर्श हेतु संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में बैठा सकेगा, परंतु ऐसे चिकित्सकों के द्वारा की जा रही चिकित्सा या दिये गये परामर्श से किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है या उसके द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी सेवा से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके लिये अनुबंधकर्ता ही उत्तरदायी होगा।

07. वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करना :–

(1) सफल निविदाकार द्वारा **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** के संचालन या उसमें विक्रय हेतु रखे जाने वाली सामग्री के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय

निकायों के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा। यथा सामग्री उपयोग की अंतिम तिथि, अधिमान्य लेखे एवं अभिलेख साफ–सफाई, करों का भुगतान, कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश एवं उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक आदि का भुगतान आदि।

(2) सफल निविदाकार एक स्वतंत्र इकाई होगा एवं उसे राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा विन्ध्य हर्बल्स एवं **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र का** नाम व लोगो इत्यादि के प्रयोग के लिए नियुक्त किया गया है, अतः संचालक / लीजधारक के स्टाफ के वेतन आदि, देय शुल्क व कर के भुगतान का दायित्व केवल सफल निविदाकार का ही रहेगा। वे किसी भी स्थिति में संघ के कर्मचारी नही माने जावेगें।

(3) सफल निविदाकार को **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** संचालन के लिये बिक्री कर पंजीयन / शासन से लाइसेन्स अथवा अन्य कोई अनुमति यदि लागू हो प्राप्त करनी होगी। म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ अथवा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....इसके लिये कोई दायित्व या व्यय का वहन नहीं करेगा। यह दायित्व पूर्ण रूप से सफल निविदाकार का होगा।

(4) सफल निविदाकार उत्पादों / सेवाओं की गुणवत्ता का रखरखाव पूर्ण सजगता से करेगा। यदि किसी भी समय यह सूचना प्राप्त होती है कि जो उत्पाद / सामग्री / सेवाएं दी जा रही हैं वह मिथ्या एवं अवैध है और मानकों के अनुरुप नही हैं तो यह निविदा की शर्तो का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

(5) लीजधारक / अनुबंधकर्ता को नियमित रुप से संजीवनी केन्द्र से उत्सर्जित होने वाले कचरे के निपटान का प्रबंध, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, साफ–सफाई इत्यादि स्वयं के संसाधनों से करनी होगी।

(6) केन्द्र के संचालन में बाल श्रमिक एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों का नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

(7) कूटरचना, धोखाधड़ी एवं दुराचरण के प्रयास सिद्ध होने पर लीज समाप्त करते हुए, सुरक्षा निधि एवं अग्रिम लीज रेंट राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

(8) निविदा के सम्बन्ध में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

08. संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र में चल या अचल सम्पत्तियों को रखना या निर्माण करना

(1) सफल निविदाकार को अपने व्यय पर ग्राहकों एवं रोगियों के लिये, यदि आवश्यक हो तो सभी सुविधाएं (जैसे कुर्सी, बेंच, पेयजल व्यवस्था इत्यादि) विकसित कर स्वयं जुटानी होंगी। संजीवनी केन्द्र का दिन प्रतिदिन का रखरखाव एवं मरम्मत इत्यादि समस्त कार्य निविदाकार को ही करना होगा।

(2) सफल निविदाकार **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण या अचल संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकेगा। और नाही केन्द्र के मूल स्वरुप को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा।

09. लेखा संधारण,परीक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराना: प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल अथवा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल .द्वारा सफल निविदाकार द्वारा लीज पर लिये गये **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** में किसी भी व्यक्ति को लेखा संबंधी बही खाते, रसीदें इत्यादि देखने के लिये अधिकृत कर सकेगा। प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....द्वारा अधिकृत अधिकारी / व्यक्ति, सफल निविदाकार के लेखाओं का

परीक्षण भी कर सकेगा। सफल निविदाकार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्रों में मासिक अथवा जैसी समयावधि निर्धारित की जावे, जानकारी प्रदाय करना अनिवार्य होगी।

10. नियुक्त लीज धारक **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** के परिसर में किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त / संलग्न नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को राज्य लघु वनोपज संघ / शासन / शालीनता / सदाचार के विरूद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त करारनामा निरस्त कर सके।

11. **कार्य न करने की स्थिति में :**

(I) द्वितीय पक्ष **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** पर नियोजित व्यक्तियों या अमले के नाम उपलब्ध कराएगा। लीजधारक सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल के पूर्व अनुमोदन उपरान्त ही संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र को बन्द रख सकेगा।

(II) यदि द्वितीय पक्ष **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** का संचालन नहीं करना चाहता है तो वह न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर करारनामा समाप्त कर सकता है। ऐसा होने पर द्वितीय पक्ष को सुरक्षा निधि की पूरी या आंशिक राशि निविदाकार के देय बिल, कर एवं नुकसानी आदि की कटौती उपरांत जैसी कि स्थिति होगी, प्रथम पक्ष द्वारा वापस की जावेगी।

(III) द्वितीय पक्ष **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** परिसर के अन्दर किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को राज्य लघु वनोपज संघ / शासन / शालीनता / सदाचार के विरूद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त यह करारनामा निरस्त कर सके।

12. **विपणन –**

हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नवीन बिन्दुओं का समावेश एवं करारनामें की शर्तों का पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

13. **शास्तियां –**

यदि द्वितीय पक्ष करार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और यदि ऐसे उल्लंघन के कारण प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन.....एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा करार को समाप्त करना प्रस्तावित किया जाता है, तो इसके विरूद्ध आदेश जारी होने के 30 दिन की अवधि के भीतर प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल को अपील की जा सकेगी। प्रकरण में प्रबंध

संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा, जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा। निर्णय पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नही होगा।

14. करारनामा अवधि

1. अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष की करार अवधि (मूल लीजरेट में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ) समाप्त होने के उपरांत अनुबंधकर्ता के विगत वर्षों के कार्य निष्पादन (Performance) एवं विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों के क्रय लक्ष्य के आधार पर आगामी 2 वर्ष के लिए करार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
2. करार अवधि में वृद्धि का अधिकार प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल की अनुमति से संबंधित प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल को होगा।
3. प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल तद्समय के लागू मूल लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि करते हुए करार अवधि में वृद्धि की अनुशंसा प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल को प्रस्तुत करेगें।
4. अवधि में वृद्धि करने या ना करने का निर्णय प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा लिया जाएगा। प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15. संजीवनी केन्द्र के संचालन का मूल्यांकनः

प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी. –पार्क, भोपाल द्वारा संजीवनी केन्द्र के संचालन के संबंध में प्रत्येक 3 माह में मूल्यांकन एवं समीक्षा की जावेगी। प्रगति संतोषजनक ना पाए जाने पर लीज धारक के निलंबन की अनुशंसा प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन द्वारा की जावेगी जिस पर प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा निर्णय लिया जावेगा। संतोषजनक प्रगति की समीक्षा का तात्पर्य केन्द्र के सुव्यवस्थित संचालन एवं प्रबंधन, औषधियों के विक्रय की प्रगति, मासिक प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करने, रखरखाव, समय पर मासिक किराए / विद्युत / जलकर इत्यादि के भुगतान करने से है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा 5 श्रेणियों में अपना अभिमत प्रदाय किया जावेगा जिसमें उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, खराब एवं बहुत खराब।

16. करारनामा समाप्ति – यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अधिनियम, नियमावली अथवा लीजधारक करारनामे की किसी / किन्ही शर्तो का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उसके करारनामें को प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त किया जाता है, तो

(1) द्वितीय पक्ष को पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।

(2) तत्काल प्रभाव से **संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र** भवन को खाली करना होगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया अग्रिम लीज रेंट वापस नहीं किया जावेगा।

(4) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि को राजसात कर लिया जाएगा।

(5) यदि भवन / इससे संबद्ध संपत्ति को द्वितीय पक्ष के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

17. स्टाम्प शुल्क का भुगतान–

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर द्वितीय पक्ष पालन करने के लिये प्रतिबद्ध होगा।

18. न्यायालय की अधिकारिता–

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, संबंधित जिला न्यायालयों की अधिकारिता के अध्याधीन होगा।

19. **FORCE MAJEURE:**

If at any time during the continuance of this agreement, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this agreement shall be prevented or delayed by reasons of any war, hostility, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, fire, floods, explosions, epidemics, quarantine restriction, or acts of God (herein after referred to as "eventualities") and provided notice of the happenings of any such eventuality is given by either party to other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reasons of such eventuality be entitled to terminate this Agreement nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance. Deliverable under this Agreement shall be resumed as soon as practicable after such eventuality has come to an end or ceased to exist and the decision of the Principal as to whether the deliverable have so resumed or not shall be final and conclusive. Provided further that if the performance in whole or in part of any obligations under this Agreement is prevented or delayed by reasons of any such event for a period exceeding 60 days either party may at its option terminate the Agreement, by giving advance notice of 30 days to other party.

आज दिनांक..... को प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... द्वारा ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित द्वितीय पक्ष..... ..... ने अपने / उनके अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं, सील लगाई गई और आज दिनांक .....को प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन..... एवं विन्ध्य हर्बल्स संजीवनी केन्द्र, भोपाल हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.–पार्क, भोपाल द्वारा लीजधारक ..... को संजीवनी आयुर्वेद केन्द्र..... परिदत्त कर दिया गया है।

साक्षीगणः–

1. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर.....
नाम .....
डाक का पूरा पता.....

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित लीज ग्राहिता द्वारा हस्ताक्षर किये गयेः–

1. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

2. .....
(हस्ताक्षर)
नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
नाम –.....
डाक का पता